रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29042026-272140
CG-DL-E-29042026-272140

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 293] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 28, 2026/वैशाख 08, 1948
No. 293] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 22, 2026/VAISAKHA 02, 1948

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

विकास आयुक्त का कार्यालय

(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2026

सा.का.नि. 317(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लघु उद्योग संगठन [श्रेणी I और II (राजपत्रित पद)] भर्ती नियम, 1962, जहां तक वे हिंदी अधिकारी के पद से संबंधित हैं, उन बातों के सिवाय जिन्हे ऐसे अधिक्रांत से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, इसके द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संगठन, सहायक निदेशक (राजभाषा) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संगठन, सहायक निदेशक (राजभाषा), समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2026 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.-** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वही होंगे, जो इन नियमों के साथ उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.-** उक्त पद के संबंध में भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और अन्य विषय उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में निर्देशानुसार होंगे।

4. **निरर्हता.-** ऐसा व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, के साथ विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु केन्द्रीय सरकार, अगर इस बात का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह ऐसे किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति.-** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन-मैट्रिक में स्तर**	**चयनित पद अथवा गैर-चयनित पद**	**सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक निदेशक (राजभाषा)	4* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (रु.56100-177500).	चयन पद	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती किए जाने वालों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	**सीधी भर्ती किए जाने वालों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	**भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत**
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा, और प्रोन्नति विफल होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे श्रेणियाँ जिनसे	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना क्या है**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा		
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: ऐसे वरिष्ठ हिंदी अनुवादक जिसने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7(रू. 44900-142400) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। **टिप्पण 1:** इन नियमों की अधिसूचना की प्रवृत्त तारीख से, नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7(रू. 44900-142400) में वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक पद धारण करने वाले व्यक्ति के लिए पात्रता सेवा तीन वर्ष तक होगी। **टिप्पण 2:** जहां अर्हक या पात्रता सेवा पूरी करने वाले कनिष्ठों की प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है वहां उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा परंतु उनकी अपेक्षित अर्हता या पात्रता सेवा ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठों, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति हेतु अपनी परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति:** केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में या उसके समकक्ष पदों	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार के लिए) जिसमें शामिल होंगे:- (i) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग- अध्यक्ष; (ii) अपर विकास आयुक्त (प्रशासन), विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय– सदस्य; एवं (iii) निदेशक या संयुक्त निदेशक, विकास आयुक्त कार्यालय (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) - सदस्य । समूह 'क' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार के लिए) जिसमें शामिल होंगे:- (i) अपर विकास आयुक्त (प्रशासन), विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय– अध्यक्ष; (ii) निदेशक या संयुक्त निदेशक, विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय – सदस्य एवं (iii) उपनिदेशक (प्रशासन), विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय – सदस्य।	प्रोन्नति प्रदान करने हेतु संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

पर स्तर-9 (रु.53100-167800) में नियुक्ति के बाद नियमित आधार पर दो वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में या उसके समकक्ष में स्तर-8 (रु. 47600-151100) में नियुक्ति के बाद नियमित आधार पर या समकक्ष पदों पर चार वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (iv) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में या उसके समकक्ष पदों पर स्तर-7 (रू. 44900-142400) में या नियुक्ति के बाद पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो, और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव होना चाहिए:- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी में मास्टर डिग्री और साथ ही डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी रही हो; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री और साथ ही डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी रही हो; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न अन्य किसी विषय में हिन्दी माध्यम से मास्टर डिग्री और अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी अथवा डिग्री स्तर पर परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो;		

या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न अन्य किसी विषय में अंग्रेजी माध्यम से मास्टर डिग्री और अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिन्दी अथवा डिग्री स्तर पर परीक्षा का माध्यम हिन्दी हो; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न अन्य किसी विषय में मास्टर डिग्री तथा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिन्दी और अंग्रेजी या इनमें से कोई विषय परीक्षा का माध्यम हो और दूसरा विषय डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय हो; और (ii) केंद्रीय/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों प्रशासन/स्वायत्त निकायों/कानूनी संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/विश्व विद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षणिक संस्थानों के अंतर्गत हिंदी में शब्दावली (पारिभाषिक कार्य) प्रयोग या उपयोग का और विशेषतः तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य संबंधी कार्य में अंग्रेजी से हिंदी या विलोमतः अनुवाद कार्य का तीन वर्ष का अनुभव; या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षणिक संस्थाओं के अन्तर्गत हिंदी और अंग्रेजी में अध्यापन या हिंदी या अंग्रेजी में अनुसंधान का तीन वर्ष का अनुभव।		

वांछनीय अर्हता: किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं कक्षा में संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित हिंदी से भिन्न भाषाओं में किसी भाषा का अध्ययन किया हो। **टिप्पण 1:** फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त अधिकारी के लिए प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति किए जाने के लिए विचार नहीं किया जाएगा। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य-कैडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 'छप्पन वर्ष' से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. ए-12035/2/2018-ए(एनजी)पार्ट ई(4022940)]

दानिश अशरफ, संयुक्त विकास आयुक्त (प्रशासन)

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

Office of the Development Commissioner

(Micro, Small and Medium Enterprises)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th April, 2026

G.S.R. 317(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Small Scale Industries Organization [Class I and II (gazetted posts)] Recruitment Rules, 1962], in so far as they relate to the post of Hindi Officer, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of the Assistant Director (Official Language) in the Micro, Small and Medium Enterprises Development Organisation under the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, namely: -

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, the Micro, Small and Medium Enterprises Development Organisation, Assistant Director (Official Language), Group 'A' post, Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, level in pay-matrix.-** The number of the said post, its classification and level in the pay-matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.–** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.–** No person,-

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.–** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.–** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay-matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Director (Official Language).	04* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-10 in the pay-matrix (Rs. 56100-177500).	Selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.**

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Two years for promotees.	By promotion failing which by deputation.

In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service commission is to be consulted in making recruitment.**
(11)	(12)	(13)
Promotion: Senior Hindi Translators in level-7 (Rs. 44900-142400) in the pay-matrix with five years regular service in the grade and having successfully completed the training of two weeks as prescribed by the Competent Authority. **Note 1:** The eligibility service shall continue to be three years for persons holding the post of Senior Hindi Translators in level-7 (Rs. 44900-142400) in the pay-matrix on regular basis on the date of the notification of these rules. **Note 2:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** Officers from the Central Government or State Government or Union territory Administrations: (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years of regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-9 (Rs. 53100-167800) in the pay-matrix or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with four years of regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-8 (Rs. 47600-151100) in the pay-matrix or equivalent in the parent cadre or department; or (iv) with five years of regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-7 (Rs. 44900-142400) in the pay-matrix or equivalent in the parent cadre or department; and	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (i) Chairperson or Member, Union Public Service Commission - Chairperson; (ii) Additional Development Commissioner, Office of Development Commissioner (Micro, Small and Medium Enterprises)- Member; and (iii) Director or Joint Director, Office of Development Commissioner (Micro, Small and Medium Enterprises)- Member. Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- (i) Additional Development Commissioner (Administration), Office of Development Commissioner (Micro, Small and Medium Enterprises)- Chairperson; (ii) Director or Joint Director, Office of Development Commissioner (Micro, Small and Medium Enterprises)- Member; and (iii) Deputy Director (Administration), Office of Development Commissioner (Micro, Small and Medium Enterprises)- Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary for promotion.

(b) possessing the following educational qualifications and experience: (i) Master's degree from a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Master's degree from a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as a medium of examination at degree level; or Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at the degree level; and (ii) three years experience of using or applying terminology (terminological work) in Hindi and translation work from English to Hindi or vice versa, preferably of technical or scientific literature under Central Government or State Governments or Union territory Administrations or autonomous body or statutory organizations or public sector undertakings or universities or recognized research or educational institutions; or three years experience of teaching in Hindi and English or research in Hindi or English under Central Government or State Governments or Union territory Administrations or autonomous body or statutory organizations or public sector undertakings or universities or recognized research or educational institutions. Desirable Qualification: Studied one of the languages other than Hindi included in the Eighth Schedule of		

the Constitution at 10th class level from a recognised Board. **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the last date of receipt of applications.		

[F. No. A-12035/2/2018-A(NG)/Pt. (E- 4022940)]

DANISH ASHRAF, Jt. Development Commissioner (Admin.)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2026.04.29 10:29:41 +05'30'